न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 42/2020

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स–

1. मूलाराम पुत्र सुखराम
2. नारणाराम पुत्र सुखराम
3. धन्नी पत्नी तेजाराम
4. धन्नाराम पुत्र मूलाराम
5. अचली पत्नी नारणाराम

जाति जाट निवासी अर्जुन का तला, नागड़दा तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. लाखाराम पुत्र मुकनाराम
2. रूपाराम पुत्र मुकनाराम
3. भारूराम पुत्र रामचन्द्र
   जाति जाट निवासी अर्जुन का तला, नागड़दा तहसील शिव जिला बाड़मेर
4. जमना देवी पत्नी विशनाराम जाति जाट निवासी छीतर का पार, तहसील बायतु जिला बाड़मेर
5. श्यामु उर्फ श्याम मोहम्मद पुत्र साले मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर
6. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिव
7. शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा भींयाड़
8. तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 06/1367 दिनांक 17.05.2006 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील बीएल रामा[illegible] अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री पदमाराम परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 [illegible] की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 8 प्रफॉर्मा पक्षकार।
4. अवशेष रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 15.06.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 17.05.2006 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा पोषाल के खेत खसरा नम्बर 261, 38, 39, 178, 183, 197 रकबा क्रमशः 405–06, 00–11, 37–07, 01–03, 65–06, 13–07 बीघा भूमि के खातेदारान खेमा, लाखा, रूपा पि0 मुकना, रामचन्द्र वल्द निम्बा, मूला, नारणा पि0 सुखराम, धन्नी बेंवा तेजा, मु0 खेतु बेवा सुखराम कौम जाट सा0 पोषाल ने दिनांक 01.05.2006 को तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी मौखाब द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सरहद मौजा पोषाल में जमाबंदी 2061–2064 के अनुसार खाता सं. 14, 15 में श्री खेमा, लाखा, रूपा पि0 मुकना, रामचन्द्र वल्द नीम्बा, मूला, नारणा पि0 सुखराम, धन्नी बेवा तेजा, मु0 खेतु बेवा सुखराम कौम जाट सा0 देह खातेदार, लाखा पुत्र मुकना का हिस्सा रहन थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा भींयाड़ की रिकॉर्डेड खातेदारी की हैं। उनके द्वारा इकरारनामे में बताए गये भूमि एवं लगान वितरण सही हैं। अब इन्होने जिस अनुसार विभाजन किया हैं, उसके अनुसार मौके पर काबिज हैं। उक्त जमीन उक्त खातेदारों की पैतृक संपति हैं। विभाजन करवाने के लिए सभी काश्तकार सहमत हैं। इकरारनामे में बताए गये भूमि व लगान वितरण सही हैं। संलग्न नक्शा में विभाजन किये गये हिस्सों की सरहद व प्रत्येक हिस्से को अलग–अलग रंगों से दिखाए जा रहे हैं। मौका स्थिति इसी अनुरूप ही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:28 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2006 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.09.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा मौजा पोषाल के खसरा नम्बर 261 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के तहत अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा जो विभाजन नक्शा प्रस्तुत किया गया था वह बिना माप किये ही तरमीम प्रस्तावित किया गया था। इसी अनुसार विभाजन स्वीकृति के पश्चात हल्का पटवारी द्वारा दायर नामान्तरकरण सं. 317 की पुश्त पर भी बिना माप किये ही तरमीम अंकित कर दी एवं लट्ठा ट्रैस में भी तरमीम कर दी गई। इस तरमीम के आधार पर रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स के कब्जे-काश्त में बार-बार दखलदांजी करने पर खसरा नम्बर 315/261 का सीमाज्ञान करवाने पर हल्का पटवारी द्वारा अवगत कराया [illegible] तरमीम सही नहीं हैं तथा विभाजन तरमीम बिना [illegible] पटवारी द्वारा अपीलांट्स के खसरा नम्बर 315/261 की पैमाईश कर[illegible]र तरमीम अनुसार रकबा 129

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बीघा ही बताया गया जबकि हिस्सा एवं रेकर्ड में 135–02 बीघा दर्ज हैं। इस प्रकार प्रस्तावित विभाजन नक्शा में बिना पैमाईश तरमीम प्रस्तावित किये जाने से अपीलांट्स के तरमीम में रेकर्ड से कम भूमि दर्ज की गई हैं। इस हेतु राजस्व रेकर्ड अनुसार माप एवं मौके पर भौतिक सत्यापन उपरांत विभाजन तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अर्सा तीन माह पूर्व रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स के कब्जे–काश्त में बार–बार दखलदांजी करने पर अपीलांट्स ने दिनांक 03.09.2020 को सीमाज्ञान की नकल प्राप्त की तथा गलत विभाजन तरमीम होने का पता चला तथा अपीलांट्स ने राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस की नकल दिनांक 08.09.2020 को प्राप्त की एवं अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 17.09.2020 को, नामान्तरकरण सं. 317 की नकल दिनांक 22.09.2020 को प्राप्त होने पर वास्तविक ज्ञान होने की तारीख से यह अपील अन्दर मयाद पेश हैं। अज्ञानतावश कानून निर्धारित आलौच्य आदेश दिनांक 17.05.2006 के निर्धारित अपील समय सीमा गुजर जाने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करने एवं अपील अन्दर मयाद शुमार करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध, त्रुटिपूर्ण व अपीलांट के हक–हकूकों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से ऐसे विधि विरूद्ध आदेश की अपील करने में मयाद का बिन्दु प्रभावित नहीं होता हैं तथा उसे कभी भी चुनौती दी जा सकती हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश में मौजा पोषाल के खसरा नम्बर 261 के विभाजन की सीमा तक निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:28 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेंट्स सं. 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा इकबाली लिखित बहस प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील की ताईद की गई तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन विभाजन आदेश में खसरा नम्बर 261 के विभाजन को निरस्त कर पुनः नये सिरे विभाजन कराये जाने का निवेदन किया।

7. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा पोषाल के खेत खसरा नम्बर 261, 38, 39, 178, 183, 197 रकबा क्रमशः 405–06, 00–11, 37–07, 01–03, 65–06, 13–07 बीघा भूमि के खातेदारान खेमा, लाखा, रूपा पि0 मुकना, रामचन्द्र वल्द निम्बा, मूला, नारणा पि0 सुखराम, धन्नी बेवा तेजा, मु0 खेतु बेवा सुखराम कौम जाट सा0 पोषाल ने दिनांक 01.05.2006 को तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी मौखाब द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सरहद मौजा पोषाल में जमाबंदी 2061–2064 के अनुसार खाता सं. 14, 15 में श्री खेमा, लाखा, रूपा पि0 मुकना, रामचन्द्र वल्द नीम्बा, मूला, नारणा पि0 सुखराम, धन्नी बेवा तेजा, मु0 खेतु बेवा सुखराम कौम जाट सा0 देह खातेदार, लाखा पुत्र मुकना का हिस्सा रहन थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा भींयाड़ की रिकॉर्डेड खातेदारी की हैं। उनके द्वारा इकरारनामे में बताए गये भूमि एवं लगान वितरण सही हैं। अब इन्होने जिस अनुसार विभाजन किया हैं, उसके अनुसार मौके पर काबिज हैं। उक्त जमीन उक्त खातेदारों की पैतृक संपति हैं। विभाजन करवाने के लिए सभी काश्तकार सहमत हैं। इकरारनामे में बताए गये विभाजन व लगान वितरण सही हैं। संलग्न नक्शा में विभाजन किये जाने की सीमाएं दर्ज हैं व प्रत्येक हिस्से को अलग–अलग रंगों से दिखाए जा रहे हैं। मौका स्थिति इसी अनुरूप है। जिस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:28 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2006 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.09.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा प्रकट किया गया हैं कि खसरा नम्बर 261 के विभाजन की तरमीम बिना पैमाईश किये ही प्रस्तावित की गई थी जिसके फलस्वरूप अपीलांट्स को रेकर्ड से कम भूमि प्राप्त हुई हैं। अपीलांट्स को उक्त गलत तरमीम के फलस्वरूप कम भूमि की तरमीम होने का ज्ञान तब हुआ जब हल्का पटवारी से भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सं. 3 द्वारा अपीलांट्स की अपील की ताईद करते हुए खसरा नम्बर 261 की विभाजन तरमीम निरस्त करने का निवेदन किया गया। अपीलांट्स द्वारा भी खसरा नम्बर 261 के अतिरिक्त अवशेष खसरान के विभाजन को सही होना स्वीकार किया गया हैं। अपीलांट्स के अनुसार खसरा नम्बर 261 के विभाजन के फलस्वरूप उसके हिस्से में आये भू–भाग खसरा नम्बर 315 / 261 की तरमीम राजस्व रेकर्ड में दर्ज 135–02 बीघा के स्थान पर 129 बीघा ही अंकित हैं। इस प्रकार विभाजन स्वीकृति आदेश के भाग के रूप में संलग्न विभाजन नक्शा दूषित हो जाने से अपीलांट्स के हिस्से की भूमि कम पड़ जाती हैं तथा इस आधार पर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश भागतः दूषित होने से अपीलांट्स की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा मौजा पोषाल नवसृजित अर्जुन का तला के खसरा नम्बर 261 के विभाजन हेतु पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2006 को अपास्त किया जाता है तथा शेष खसरान के विभाजन को यथावत रखा जाता है। पक्षकारान उक्त खसरा नम्बर 261 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पुनः नये सिरे से मौका कब्जा एवं हिस्सा अनुसार नये सिरे से आपसी सहमति से तहसीलदार शिव के समक्ष अथवा सहायक कलक्टर (एसडीओ) शिव के समक्ष नियमित वाद प्रस्तुत कर विभाजन हेतु चाराजोही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:28 IST
Reason: SelfAttested